कार्यालय उपनिदेशक फायर सर्विस, आगरा परिक्षेत्र आगरा।

पत्रांक:2014/646/एजीए/आगरा/59/डीडी दिनांक:जुलाई, 23 ,2014

सेवा में,

मैसर्स श्री सुमित गुप्ता,
विभव बिल्डवेल, 86, विभव ट्रेड सेन्टर,
बाई पास रोड जनपद आगरा।

विषयः मैसर्स विभव बिल्डवेल, खसरा संख्या:72 (पार्ट) चमरौली आगरा पर प्रस्तावित आवासीय ग्रुप हाउसिंग भवन निर्माण हेतु प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः आपका पत्रांक:शून्य दिनांक:14.07.2014

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रश्नगत प्रस्तावित भवन को प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के मानचित्रों में प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाओं एवं अभिलेखों का भौतिक निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी, ताजनगरी, आगरा श्री रेहान अली द्वारा सुसंगत मानकों के अनुसार किया गया। उनकी संस्तुति आख्या दिनांक:18.07.2014 एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी, आगरा श्री अभयभान पाण्डेय की परिशीलन संस्तुति आख्या दिनांक:20.07.2014 का परिशीलन अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया तो निम्न विवरण पाया गया:–

भवन की संररचनाः–

1– कुल भूखण्ड ऐरिया– 2669.00 वर्ग मीटर।

2– प्रस्तावित भूतल कवर्ड ऐरिया–808.07 वर्ग मीटर।

3– प्रथम तल से उपरी तलों का प्रस्तावित टिपीकल कवर्ड ऐरिया मानचित्रों के अनुसारः–
प्रथम तल से नोवें तल तक कवर्ड ऐरिया--808.07 वर्ग मीटर।
दसवें तल से ग्यारहवें तल तक कवर्ड ऐरिया– 657.15 वर्ग मीटर।
बेसमेन्ट प्रथम कवर्ड ऐरिया–1579.16 वर्ग मीटर।

4– प्रस्तावित भवन की उँचाईः– 34.95 मीटर।

2– भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी – भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की श्रेणी के अनुसार प्रस्तावित आवासीय ग्रुप हाउसिंग भवन ''ए'' श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

3– ढॉचागत व्यवस्थायें:–

1– पहुँच मार्ग– भूखण्ड के सामने मानचित्रों में 24 मीटर रोड की चौडाई है।

2– प्रवेश द्वारः– दो प्रवेश द्वार की चौडाई 05–05 मीटर जो मानक के अनुसार प्रस्तावित है।

4– सैटबेक–

अ– अग्रभाग– 12 मीटर।

ब– पृष्ठ भाग– 12 मीटर।

स– पार्श्व–प्रथम– 12 मीटर।

द– पार्श्व–द्वितीय–12 मीटर।

नोट– भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 के अनुसार भूतल पर 10 मीटर सैटबैक एवं 02 मीटर अतिरिक्त दसवें व ग्यारहवें तल हेतु प्राविधानित किया गया है।

उपरोक्तानुसार भवन के सैटबेक भवन नियमावली के अनुसार है। सैटबेक सदैव अवरोधमुक्त रखे जायेंगे। सैटबेक में किसी प्रकार का स्थाई/अस्थाई निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।

5– निकास मार्ग– प्रस्तावित भवन में 02 स्टेयरकेस की चौडाई–1.50 मीटर प्रत्येक मानचित्रों के अनुसार प्राविधानित है, जिनकी फलोर से समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है। नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005 भाग–3 के प्रस्तर–12.9.3(एफ) के अनुसार बेसमैन्ट हेतु स्टेयरकेस की व्यवस्था का प्राविधान किया जाना अनिवार्य है। नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005 के अनुसार बेसमैन्ट में स्टेयरकेस/लिफट लॉबी में प्रेशराइजेशन की व्यवस्था, प्रत्येक तल हेतु एनक्लोज्ड बाहृय/फायर स्टेयरकेस की व्यवस्था, तथा बाहृय/फायर स्टेयरकेस हेतु फायर चैक डोर/स्मोक चैकडोर का प्राविधान किया जाना अनिवार्य है।

6– रिफयूज ऐरिया का विवरणः– नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005 के अनुसार बालकनी का प्रयोग रिफयूज ऐरिया हेतु प्राविधानित है।

7– अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाः– नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005 के अनुसार निम्नलिखित अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण की जानी अनिवार्य है।

क्रमशः पेज 02 ......

23/07/14

1– **होजरील** :–प्रस्तावित भवन के प्रत्येक तल पर होजरील लैण्डिंग वाल्व आई0एस0–3884 के मानकों के अनुसार प्राविधानित है।

2– **डाउनकमर सिस्टमः**– प्रस्तावित भवन में डाउनकमर सिस्टम एन0बी0सी0–2005 के मानकों के अनुरूप प्राविधानित है।

3– **हस्त चालित इलैक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम** :– प्रस्तावित भवन के प्रत्येक तल पर मैनुअल आपरेटिड इलेक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार प्राविधानित है।

4– **स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टमः**– प्रस्तावित भवन के बेसमेन्ट में आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

5– **टेरेस टैकः**– प्रस्तावित भवन के टेरिस पर टेरिस टैक 25,000 लीटर क्षमता का स्थापित कराया जाना प्राविधानित है।

6– **टेरेस पम्पः**– प्रस्तावित भवन के टेरिस टैक के पास टेरिस पम्प क्षमता 900 एल0पी0एम0 का स्थापित कराया जाना प्राविधानित है।

7– **प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर)** :– प्रस्तावित भवन में फायर एक्सटिंग्यूशर आई0 एस0–2190 के अनुसार प्राविधानित किया गया है जो मानकों के अनुरूप है।

8– **स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टम** :–

ए– फायर चैक डोर, स्मोक चेक डोर की लोकेशन व रेटिंग का 2 घंटा प्राविधानित है।

बी– स्मोक रिजरवायर एवं अनुमानित स्मोक लेयर आदि को आधारित करते हुए नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005 के अनुसार स्मोक एक्सट्रेक्टर बेसमेन्ट में 30 एयर चेन्जर प्रति घंटा के अनुसार किया जाना अनिवार्य है।

9– **प्रेशराईजेशन प्रणालीः**–स्टेयर्स में स्थानों पर प्रेशराईजेशन की व्यवस्था प्राविधानित गई है व प्रयुक्त होने वाले फैन्स की डक्टिंग इत्यादि प्राविधानित है।

10– प्रेशराईजेशन सिस्टम, डिटेक्शन सिस्टम से इण्टरलिंक है जो एन0बी0सी0 के मानक के अनुसार प्राविधानित है।

11–**एग्जिट साइनेजः**– प्रस्तावित भवन में भवन निर्माण के पश्चात एग्जिट साइनेज प्राविधानित किये गये है।

12– **पी0ए0 सिस्टमः**– पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन में मानक के अनुसार प्राविधानित है।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स विभव बिल्डवेल, खसरा संख्याः72 (पार्ट) चमरौली, तहसील व जनपद आगरा पर प्रस्तावित आवासीस ग्रुप हाउसिंग भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ की निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी प्रस्तावित प्राविधान भवन विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005 में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नकः अनुमोदित मानचित्र।
कुल 04 वर्क।

(अजय कुमार गुप्ता) 3/-7/17
उपनिदेशक, फायर सर्विस,
आगरा परिक्षेत्र, आगरा।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1– सहायक अभियन्ता भवन आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
2– मुख्य अग्निशमन अधिकारी, आगरा।
3– अग्निशमन अधिकारी ताजनगरी, आगरा।

Scanned with CamScanner